मशीनी औजार आदिरूप फैक्टरी
आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई
भारत सरकार का उद्यम
रक्षा मंत्रालय

MACHINE TOOL PROTOTYPE FACTORY
UNIT OF ARMOURED VEHICLES NIGAM LIMITED
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
MINISTRY OF DEFENCE

CIN-35990TN2021GOI145504

विज्ञापन

मुख्य महाप्रबंधक, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरीफैक्टरी, अंबरनाथ, ए. वी. एन. एल. की एक इकाई, भारत सरकार उद्यमम, अपरेंटीस अधिनियम 1961 और (संशोधन) अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न ट्रेडो में गैर आय.टी.आय. और भूतपुर्व आय.टी.आय. उम्मीदवारों से ट्रेड अपरेंटीस के 59 वें बैच की तैनाती के लिए निम्नवत विवरण अनुसार अपरेंटीस के रुप में तैनाती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है ::-

क्र. सं.	गैर आई.टी. आई./ भूतपूर्व आई.टी. आई.	ट्रेड का नाम	यु.आर.	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाती	अनुसूचित जनजाति	ओ. एच.	एच .ए च.	वि. एच .	कुल	कुल योग
1	गैर आई.टी.आई.	फिटर	5	3	1	1	1	0	0	10	47
2		टर्नर	8	4	1	2	0	1	0	15	
3		मशिनिष्ट	8	4	2	2	0	0	0	16	
4		एम.एम.टी.एम.	3	1	1	1	0	0	0	06	
1	भूतपूर्व आई.टी. आई.	फिटर	5	2	1	1	0	1	0	09	43
2		टर्नर	8	4	1	1	0	0	0	14	
3		मशिनिष्ट	8	4	1	2	0	0	0	15	
4		ईलेक्ट्रिशियन	2	1	0	0	0	0	0	3	
5		वेल्डर (जि&ई)	1	1	0	0	0	0	0	2	
										कुल योग	90

आयु सीमा :- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 15 से 24 वर्ष के बीच । उपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की अनुमति है ।

क्रम स.	श्रेणी	आयु सीमा में छूट
क)	अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए	05 (पांच) वर्ष
ख)	अन्य पिछडी जाति उम्मीदवारों के लिए	03 (तीन) वर्ष

ग)	शारीरिक रूप से विकलांग (शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण- पत्र) / शारीरिक रूप से विकलांग (PC) या अलग -अलग दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए	अतिरिक्त 10 (दस) वर्ष अनारक्षित : 10 साल अन्य पिछड़ी जाति (गैर क्रीमी लेयर) : 13 वर्ष अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति 15 वर्ष
घ)	आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए	ऊपरी आयु सीमा में संबद्ध ट्रेड में एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. प्रशिक्षण में सामान्यत: व्यतीत अवधि की और छूट दीगईहै।

2. **आवश्यक योग्यता:**

क)	गैर-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए	आवेदन करने के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि तक माध्यमिक (दसवीं कक्षा या समकक्ष) में सभी विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंक सहित उत्तीर्ण होना चाहिए तथा गणित और विज्ञान में दोनों विषय में न्यूनतम 40% अंकों अनिवार्य है।
ख)	आई.टी.आई. श्रेणी के लिए	एनसीवीटी या एससीवीटी या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय/ श्रम मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किसी भी अन्य प्राधिकरण और अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अनुसार रोजगार अवधि सहित माध्यमिक / दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष (मैट्रिकुलेट / दसवीं कक्षा और आई.टी.आई. दोनों में न्यूनतम 50% कुल अंक) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से संबंधित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 (और तदुपरांत संशोधन) के अनुसूची । के आधार पर ही संबंधित ट्रेड पर विचार किया जाएगा।

3. **रिक्ति का विवरण:**

I. रिक्तयों की संख्या की संख्या अनंतिम है।

II. भूतपूर्व-आई.टी.आई. उम्मीदवारों (आई.टी.आई. उत्तीर्ण) के लिए उपलब्ध ट्रेडों में रिक्तियों पहले से ही ऊपर उल्लिखित हैं। भूतपूर्व-आई.टी.आई. उम्मीदवार केवल निर्दिष्ट ट्रेडों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, गैर-आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए ट्रेड, उम्मीदवारों की योग्यता सह पसंद के आधार पर आवंटित करने की अपेक्षा मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री में उपलब्ध विभिन्न ट्रेडों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार गैर-आई.टी.आई. उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

III. शारीरिक दिव्यांग/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार भी अपनी पात्रता के अनुसार रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनका चयन प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 एवं प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 के प्रावधानों एवं उस में हुए संशोधनों के अनुसार उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक ट्रेड से संबंधित प्रचलित रिक्तियों के अनुसार किया जायेगा।

IV. जब अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) से संबंधित व्यक्तियों की निर्धारित संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थान अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकते हैं या विलोमत: स्थिति में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा जाए, अर्थात जैसा भी मामला हो। यदि उपरोक्त विधि से भी पूर्वोक्त वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा रिक्तियाँ नहीं भरी जा सके तो इन रिक्तियों को गैर-अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जा सकता है। इसी प्रकार, यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित निर्धारित प्रशिक्षण रिक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के अभाव में गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार से भरा जा सकता है।

4. **आवेदन कैसे करें:**

A. उम्मीदवार को अनुबंध- । में उल्लिखित आवेदन पत्र जमा करना होगा ।

B. उम्मीदवारों को अपना व्यक्तिगत विवरण सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, प्राप्तांक मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र आदि में दर्ज किए गए अंकों से बिल्कुल मेल खाएं। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाए गए किसी भी विचलन से उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और प्रवेश खारिज कर दिया जाएगा।

C. उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे आवेदन में अपने सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी का उल्लेख करें।

i. आवेदन पत्र भरते समय हाल ही में लिया गया का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना होगा।

ii. उम्मीदवार को आवेदन पर हस्ताक्षर करना होगा।

iii. 12 अंक आधार कार्ड संख्या अवश्य लिखें। जिन उम्मीदवारों के उत्तीर्ण आधार कार्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने आधार के लिए नामांकन किया है, वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित पहली 14 अंकों की नामांकन आई.डी. लिख सकते हैं।

iv. निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित करवाकर प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए :

a) आधार कार्ड नहीं होने कि स्थिति में पहचान पत्र।

b) एस.एस.सी. (मैट्रिकुलेशन / 10 वीं कक्षा) या इसके समकक्ष अंक पत्र।

c) जन्म तिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (10 वीं कक्षा या इसके समकक्ष मैट्रिकुलेट प्रमाण पत्र या जन्म तिथि का दर्शाने वाली मार्कशीट या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।

d) संबंधित ट्रेड जिस हेतु आवेदन किया गया है उस उत्तीर्ण आई.टी.आई. ट्रेड के सभी सेमेस्टर के लिए समेकित मार्कशीट / अंकयुक्त अनंतिम राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र।

e) आई.टी.आई. उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एस.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. द्वारा जारी अनंतिम नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट।

f) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, जहां भी लागू हो। अन्य पिछड़ी जाति गैर- क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवारों को पिछले तीन वर्षों में जारी अपने अन्य पिछड़ी जाति गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों को भी संलग्न करना होगा।

g) शारीरिक दिव्यांगता (पी.एच./पी.डब्ल्यू.डी.) के मामलों में सक्षम मेडिकल बोर्ड / प्राधिकरण द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण- पत्र।

D. अस्पष्ट/अपठनीय दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा और दस्तावेजों के सत्यापन के समय उम्मीदवार का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

E. एक अभ्यर्थी से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो/शैक्षिक और/या तकनीकी योग्यता आदि जैसे विभिन्न विवरणों के साथ एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी आवेदनों को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाएगा।

F. आधार कार्डयुक्त अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को, दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपनी पहचान सिद्ध करने के उद्देश्य के लिए, अपना मूल आधार कार्ड अथवा उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

G. दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार के प्रपत्र अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

5. **चयन का तरीका:**

चयन योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा। गैर-आई.टी.आई. और भूतपूर्व- आई.टी.आई. श्रेणियों के लिए अलग-अलग योग्यता सूची तैयार की जाएगी । गैर-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए योग्यता सूची माध्यमिक या मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा या समकक्ष) में सभी विषयों में अर्जित कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाएगी चाहे उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से हो । गैर-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए, एक सामान्य योग्यता सूची तैयार की जाएगी और ट्रेडों को आबंटन योग्यता-कम-पसंद के आधार पर किया जाएगा।

भूतपूर्व-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए योग्यता सूची मैट्रिक और आई.टी.आई. दोनों में अंकों के साधारण औसत प्रतिशत (प्रत्येक में कुल मिलाकर न्यूनतम 50%) के आधार पर ट्रेड-वार तैयार की जाएगी। मैट्रिक के प्रतिशत की गणना के उद्देश्य से, उम्मीदवारों द्वारा सभी विषयों में अर्जित प्राप्तांक को ध्यान में रखा जाएगा और आई.टी.आई. अंकों के प्रतिशत की गणना के लिए अनंतिम/अंतिम प्रमाण पत्र में उल्लिखित अंकों को लिया जाएगा।

माध्यमिक (दसवीं कक्षा या समकक्ष) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों को सभी बोर्ड / परीक्षा प्रणाली के उम्मीदवारों के लिए समान रूप से माना जाएगा और केवल उस बोर्ड / परीक्षा प्रणाली के प्रतिशत सूत्र के अनुसार माना जाएगा।

रिक्तियों के आधार पर, चयन सूची तैयार की जाएगी और केवल अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

योग्यता सूची तैयार करने के लिए, दो उम्मीदवारों के समान अंक / प्रतिशत (टाई केस) होने की स्थिति में, अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी एक ही हो तो मैट्रिक की परीक्षा पहले (वर्ष) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम माना जायेगा । भले ही मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एक ही हो तो अंग्रेजी वर्णानुक्रम में पहले नाम आनेवाले उम्मीदवार को च्यनित किया जाएगा।

योग्य उम्मीदवारों की चयन सूची को अंतिम रूप देते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी। निरीक्षण या अन्यथा किसी गलती या त्रुटि के मामले में , एमटीपीएफ योग्य उम्मीदवारों की चयन सूची को संशोधित करने के लिए किसी भी समय कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में एमटीपीएफ/ए.वी.एन.एल. का निर्णय अंतिम होगा।

6. **अनुसूचितजाति / अनुसूचितजनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएच उम्मीदवारों के लिए आरक्षण:**

अपरेंटिस अधिनियम, 1961, प्रशिक्षुता नियम 1992 और तदुपरान्त संशोधनों और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और मौजूदा सरकारी नियमों के तहत नियमों में संबंधित अनुसूची के अनुसार आरक्षण लागू है। पी.एच./पी.डब्ल्यू.डी. श्रेणी के लिए अधिसूचित रिक्तियाँ अलग नहीं हैं, लेकिन प्रावधान के अनुसार कुल रिक्तियों की संख्या में शामिल हैं। उम्मीदवारों का अंतिम चयन लागू आरक्षण नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के क्रम में अलग से किया जाएगा।

7. **प्रशिक्षण की अवधि:**

गैर-आई.टी.आई. के लिए	-2 साल का प्रशिक्षण।
भूतपूर्व आई.टी.आई.	-1 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए।

8. वजीफा:

i) भारत सरकारी के दिनांक 25/09/2019 के अधिसूचना , भाग-II, सेक्शन 2, उप -सेक्शन (i) नं. 561ए जी.एस.आर. नं. 686 (E) अनुसार ट्रेड अप्रेंटिसों को प्रति माह न्यूनतम वजीफा का निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा :-

गैर-आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए:-

प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	पहले तीन महीनों के लिए रु. 3000/- प्रति माह । शेष 9 महीनों के लिए रु. 6000/- प्रति माह।
द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	रु. 6600/- प्रति माह।

भूतपूर्व आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए:-

प्रशिक्षण के दौरान	रु. 8050/- प्रति माह

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

9. **शारीरिक स्वास्थ्य का मानक:** अप्रेंटिस अधिनियम, 1961, प्रशिक्षुता नियम 1992 और उसके संशोधनों के अनुसार।

10. चिकित्सा परीक्षण:

अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के सफल दस्तावेज सत्यापन उपरांत मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, अंबरनाथ द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी । चिकित्सा परीक्षा की तिथि, समय और स्थान अलग से सूचना दी जाएगी। चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले उम्मीदवारों को ही ट्रेड अप्रेंटिस तैनाती हेतु अगली प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा ।

11. नियम एवं शर्तें:

चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप का अनुबंध निष्पादित करना होगा (यदि नाबालिग है, तो उसके अभिभावक द्वारा)। प्रशिक्षण के दौरान प्रप्रशिक्षु नियमानुसार केवल आयुध निर्माणी अस्पताल से चिकित्सा उपचार के लिए पात्र हैं। यदि एक उम्मीदवार को ट्रेड अपरेंटिस के रूप में चुना जाता है, नामित ट्रेडों के लिए, उसका प्रशिक्षण संबंधित आर.डी.ए.टी./आर.डी.एस.डी.ई. द्वारा पंजीकरण के अधीन होगा।

यदि किसी कारण से आर.डी.ए.टी./आर.डी.एस.डी.ई. उम्मीदवार को पंजीकृत नहीं कर पाते हैं, तो उम्मीदवार का प्रशिक्षण तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवार के प्रशिक्षण अवधि पूरी करने पर उसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करने पर व्यावसायिक ट्रेडों में उसकी प्रवीणता का निर्धारण उस संस्थान द्वारा किया जाएगा जिसमें उसने एक प्रप्रशिक्षु के रूप में सेवा की है। राष्ट्रीय परिषद द्वारा ट्रेड में प्रवीणता का प्रमाण पत्र दिया जाए।

नियमों और शर्तों को पूरा करने में प्रप्रशिक्षु की ओर से विफलता के लिए प्रशिक्षुता के अनुबंध की समय पूर्व समाप्ति की स्थिति में (जैसा कि प्रशिक्षुता नियम 1992 के तहत अधिसूचित किया गया है) और तदनुसार संशोधन के अधीन प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा निर्धारित, ज़मानत राशि का भुगतान प्रशिक्षण की लागत के रूप में करना होगा।

12. रोजगार की पेशकश और स्वीकृति:

प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने पर नियोक्ता के लिए उन्हें नौकरी प्रदान करना बंधन कारक नहीं होगा और न ही यह प्रशिक्षु के लिए भी यह बंधनकारक होगा कि वह नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत रोजगार की पेशकश को स्वीकार करे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपरेंटिस अधिनियम, 1961, प्रशिक्षुता नियम 1992 और उसके संशोधनों तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों और विनियमों से भली-भांति परिचित हों।

13. चिकित्सा स्वास्थ्य

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और समय-समय पर संशोधित प्रशिक्षुता नियम, 1992 के तहत उम्मीदवार केवल तभी प्रशिक्षण के लिए पात्र होगा, जब वह संबंधित ट्रेडों मे प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए वांछित निर्धारित शारीरिक स्वास्थ्य के न्यूनतम मानकों को पूरा करता है जिसका प्रमाणन आयुध निर्माणी अस्पताल द्वारा किया जाएगा।

14. उम्मीदवारों के लिए सामान्य जानकारी:

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक नोट कर लें: -

I. इच्छुक उम्मीदवार संलग्न प्रारूप में पूर्ण जीवनवृत्त सहित जाति प्रमाण पत्र और जन्मतिथि प्रमाण पत्र और सभी प्रमाणपत्रों की जेरोक्स प्रतियों पर राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित करवाकर **"मुख्य महाप्रबंधक, मशीन औज़ार आदिरूप फैक्टरी, ए.वी.एन.एल. की एक इकाई, भारत सरकार का उद्यम, अंबरनाथ, जिला - ठाणे, महाराष्ट्र, पिन: 421 502"** के पते पर समाचार पत्र मे विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर समय रहते प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें कि आवेदन उपरोक्त 21 दिनों की अवधि में इस कार्यालय को प्राप्त हो जाए।

II. यह ध्यान दिया जाए कि आवेदन के सौंपने मात्र से अपरेंटिस के रूप में शामिल होने की गारंटी नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन श्रेणीवार उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए योग्यता सूची/चयन सूची के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में सभी आवेदकों की उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अनंतिम होगी। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी और चयन, दस्तावेजों/ क्रेडेंशियल्स की मूल प्रतियों, अनुकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षण और विज्ञापन में उल्लिखित अन्य पात्रता मानदंड तथा अपरेंटिस अधिनियम 1961 और प्रशिक्षुता नियम, 1992 तथा तदुपरान्त हुई सभी संशोधनोंके प्रावधानों के अधीन होगी।

III. उम्मीदवारों को सावधानीपूर्वक विज्ञापन को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता मानदंड में प्राप्तांकों / प्रतिशत को सावधानीपूर्वक भरें/ दर्ज करें।

IV. उम्मीदवारों को वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. देना आवश्यक है।

V. किसी भी प्रकार की अनुयाचना उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगी। चयन प्रक्रिया मात्र योग्यता के आधार पर की जाती है।

VI. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आएं।

VII. तथ्यों को छुपाने या जाली प्रमाणपत्र जमा करने पर चयन के किसी भी स्तर पर एवं प्रक्रिया में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

VIII. पात्रता, किसी भी आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में एमटीपीएफ/ए.वी.एन.एल. का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

IX. मौजूदा नियमों के अनुसार ट्रेड अपरेंटिस की नियुक्ति के नियमों और शर्तों में बाद में कोई भी बदलाव मान्य रहेगा। एमटीपीएफ के पास ट्रेड अप्रेंटिस तैनाती (एंगेजमेंट) संबंधी जारी इस विज्ञापन नोटिस के नियमों और शर्तों में

जरुरी समझी जानेवाली और बाद में लागू होने वाले बदलाव, आशोधन/परिवर्धन को समाहित करने का अधिकार सुरक्षित है ।

X आकस्मिकता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के पास आंशिक या पूर्ण रुपा से चयन के किसी भी वैकल्पिक कानूनी तरीके को अपनाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

XI दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परिक्षण के लिए बुलाए गये किसी भी उम्मीदवार को कोई परिवहन भत्ता देय नही होगा ।

XII अपरेंटीस अधिनियम 1961 और प्रशिक्षुता नियम, 1992 तथा तदुपरांत हुए सभी संशोधनो के प्रावधान आज की तिथि तक लागू होंगे ।

04/06.

कार्य प्रबंधक / एच. आर.
कृते मुख्य महाप्रबंधक

मशीनी औजार आदिरूप फैक्टरी
आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई
भारत सरकार का उद्यम
रक्षा मंत्रालय

MACHINE TOOL PROTOTYPE FACTORY
UNIT OF ARMOURED VEHICLES NIGAM LIMITED
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
MINISTRY OF DEFENCE

CIN-35990TN2021GOI145504

ADVERTISEMENT

CHIEF GENERAL MANAGER MACHINE TOOL PROTOTYPE FACTORY, AMBARNATH, A UNIT OF AVNL, GOVT. OF INDIA ENTERPRISE Invites applications for engagement as apprentices in accordance with the provisions contained in the Apprentices Act 1961 & (Amendment) Act, 1973 for engagement of 59th Batch of Trade Apprentices from Non-ITI & Ex-ITI candidates in different trades as per details given below:-

Sl no.	NON-ITI/Ex-ITI	Name of Trade	UR	OBC	SC	ST	OH	HH	VH	Total	Grand Total
1	Non-ITI	Fitter	5	3	1	1	1	0	0	10	47
2		Turner	8	4	1	2	0	1	0	15	
3		Machinist	8	4	2	2	0	0	0	16	
4		MMTM	3	1	1	1	0	0	0	06	
1	Ex-ITI	Fitter	5	2	1	1	0	1	0	09	43
2		Turner	8	4	1	1	0	0	0	14	
3		Machinist	8	4	1	2	0	0	0	15	
4		Electrician	2	1	0	0	0	0	0	3	
5		Welder	1	1	0	0	0	0	0	2	
								GRAND TOTAL			90

AGE LIMIT : Between 15 to 24 years as on last date of receipt of application.

Relaxation in upper age limit is permitted as under:-

Sl No	Category	Age Relaxation on Age Limit
a)	For SC/ST Candidates	05 (Five) years
b)	For OBC Candidates	03 (Three) years
c)	For Physically Handicapped (PH) / Physically Challenged (PC) or Differently Abled Candidates	Additional 10 (Ten) years UR : 10 Years OBC (Non Creamy Layer) : 13 Years SC/ST : 15Years
a)	For ITI Candidates	Upper age limit is further relaxed by the period of training already undergone as per the normal duration of NCVT/SCVT, in The relevant trade.

2. ESSENTIAL QUALIFICATION:

a.	For Non-ITI Category	Should have Passed Madhyamik (class X std or equivalent) as on date of notification for applying with minimum 50% marks in aggregate and with 40% marks in Mathematics and Science each.
b.	For ITI Category	Should have passed relevant trade test from any institute recognized by Category NCVT or SCVT or any other authority specified through Gazette notification of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship/Ministry of Labour and Employment with duration as per the Apprentice Act 1961 plus passed Madhyamik / Class X std or equivalent (Minimum 50% aggregate marks both in Matriculate / Class X std and ITI). The relevant trade to be considered will be strictly on the basis of Schedule I of Apprentice Act 1961 (and amendments thereof).

3. VACANCY DETAILS:

I. The number of vacancies notified is provisional.

II. Vacancies in the trades for Ex-ITI candidates (ITI Passed) available are already mentioned above. The Ex-ITI candidates can apply against one of the designated trades only. However, trades for Non-ITI candidates will be allotted on the basis of merit cum choice of the candidates, vis-a-vis vacancies in various trades available in Machine Tool Prototype Factory, chosen by the NON-ITI candidate.

III. PH/PWD candidates can also apply against vacancies as per their eligibility. Their selection will be done as per prevailing vacancies against each trade during the selection process, considering their suitability as per provisions of Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules, 1992 and amendments thereof.

IV. When the prescribed number of persons belonging either to the Scheduled Castes (SC) or to the Scheduled Tribes (ST) are not available, the training places so reserved for them may be filled by persons belonging to the ST or as the case may be, to the SC and if the prescribed training places cannot be filled even in the above given manner, then the training places so lying unfilled may be filled by persons not belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. Similarly, if the prescribed training places reserved for Other Backward Classes cannot be filled from the OBC, then the training places so lying unfilled may be filled by persons not belonging to the OBC.

4. HOW TO APPLY:

A. Candidate must submit the application form mentioned at Annexure-I.

B. Candidates must fill their personal details carefully. Candidates should ensure that their name, father's name, date of birth, marks obtained shall exactly match with what is recorded in Matriculation or equivalent certificate etc. Any deviation found during Document Verification will lead to cancellation of candidature and also debarment.

C. Candidates are advised to indicate their active mobile number and valid e-mail ID in the application.

i. While filling up the application form a recent passport size colour photograph has to be pasted.

ii. Candidate should sign the application.

iii. 12 digit Aadhaar Card Number. The candidates not having Aadhaar Number but who have enrolled for Aadhaar, can write the first 14 digit Enrolment ID printed on the Aadhaar enrolment slip.

iv. Copy of following original documents duly attested by Gazetted Officer should be attached with the application form:

a) Identity Card in the absence of Aadhaar

b) SSC (Matriculation / 10th Standard) or its equivalent mark sheet,

c) Certificate for proof of date of birth (10th Standard or its equivalent Matriculate certificate or mark sheet indicating date of birth or school leaving certificate indicating date of birth).

d) Consolidated mark sheet for all semesters of the relevant ITI Pass trade against which applied / Provisional National Trade Certificate indicating marks,

e) National Trade Certificate issued by NCVT or Provisional National Trade Certificate issued by NCVT/SCVT for ITI pass candidates

f) Caste certificate for SC/ST/OBC candidates, wherever applicable. For OBC Non-Creamy layer candidates, the candidates should also attach their OBC Non creamy layer certificate issued in last three years.

g) Physical Disability certificate, in case of PH/PWD candidate issued by the competent Medical Board/ Authority.

D. No unclear / illegible documents shall be accepted and the candidate's application will be rejected at the time of verification of documents.

E. Only one application from a candidate will be accepted. Candidates submitted more than one application with different particulars like Name/Father's name/Community/Photo/educational and/or technical qualification etc. are informed that all such applications will be summarily rejected.

F. Provisionally selected Candidates having Aadhar card shall have to produce Original Aadhaar card or the document mentioned above at the time of document verification for the purpose of identification.

G. Copy of the caste certificates in case of SC/ST and OBC candidates in the prescribed Central Government proforma issued by appropriate authority shall have to produce in original at the time of document verification.

5. MODE OF SELECTION:

Selection will be done on the basis of merit list. The merit list will be prepared separately for NON-ITI and EX-ITI category. The merit list for NON-ITI category will be prepared on the basis of overall percentage of marks in Madhyamik or matriculation (Class X standard or equivalent), aggregate in all subjects and irrespective of Board. For NON-ITI category, a common merit list will be prepared and the trades will be allotted by on Merit-cum-choice basis after selection.

The Merit List for Ex-ITI category will be prepared trade-wise, on the basis of simple average of percentage of marks both in Matriculation and ITI (minimum 50% in aggregate in each). For the purpose of calculation of percentage of Matriculation, marks obtained by the candidates in all subjects will be taken to account and for calculation of percentage of ITI marks, marks mentioned in provisional/final certificate will be taken. The aggregate marks obtained by the candidates in Madhyamik (Class X or equivalent) shall be considered irrespective of Board / Exam System and shall be considered as per percentage formula of that Board / Exam System only.

Based on the vacancy position, select lists will be prepared and only provisionally selected candidates will be called for document verification and medical examination. For preparation of merit list, in case of two candidates having the same marks/percentage (tie case), the candidates with older age shall be preferred. If the dates of birth are also the same, then the candidates who passed Matriculation

examination earlier (Year) shall be considered first. Even if the Year of passing of Matriculation examination is same, the candidate name in alphabetical order appearing first will be considered first.

Utmost care shall be taken while finalizing the select list of eligible candidates. In case of any mistake or error by oversight or otherwise, MTPF reserves the right to take action to revise select list of eligible candidates, as deemed fit, at any point of time and in this regard the decision of MTPF/AVNL shall be final.

6. RESERVATION FOR SC/ST/OBC & PH CANDIDATES:
Reservation is applicable as per the relevant schedule in the Rules under the Apprentice Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof and the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and existing Government Rules. Vacancies notified against PH/PWD category are not separate but included in the total number vacancies as per provision. Final selection of the candidates will be made in order of merit in each category, separately as per applicable Reservations Rules,

7. DURATION OF TRAINING:

For Non-ITI - 2 Years of training.
For Ex-ITI - 1 Year of training.

8. STIPEND:
The minimum stipend per month shall be paid to the trade apprentices as per gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section(i) no. 561, GSR No. 686 (E) dated 25.09.2019:-

For Non-ITI Candidates:-

During 1st year of training	Rs. 3000/- per month for first three months. Rs. 6000/- per month for remaining 9 months.
During 2nd year of training	Rs. 6600/- per month.

For Ex-ITI Candidates:-

During training	Rs. 8050 per month

No other allowances will be paid during the entire period of apprenticeship training.

9. STANDARD OF PHYSICAL FITNESS: As per the Apprentice Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof.

10. MEDICAL EXAMINATION:
After successful document verification of the provisionally selected candidates, medical examination will be conducted by the Machine Tool Prototype Factory, Ambarnath. Date, Time and Venue of Medical Examination will be communicated separately. Candidates passed in medical examination will be considered for further process of TA engagement.

11. TERMS & CONDITIONS:
The selected candidates will have to execute a Contract of Apprenticeship (if minor, by his/her guardian). During the training, the Apprentices are entitled for MEDICAL treatment from Ordnance Factory Hospital only as per rules. If a candidate is selected as Trade apprentice, against the designated trades, his/her training shall be subject to registration by respective RDATs/RDSDEs.

If due to any reason the RDATs/RDSDEs are not able to register the candidate, the training of the candidate shall be terminated immediately. The Candidate who have completed the period of training will, on passing a test to be conducted by the National Council for

Training (NCVT) in Vocational Trades to determine his/her designated proficiency in which he/she has served, as an Apprentice, will be given a certificate of proficiency in the trade by the National Council.

In the event of premature termination of Contract of Apprenticeship for failure on the part of apprentice to carry out the terms and conditions of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules 1992) and amendments thereof, the candidate/surety has to pay such amount as is determined by the Apprenticeship Adviser as and towards the cost of training.

12. OFFER & ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT:

It shall not be obligatory or the part of the Employer to offer any employment to any Apprentice after completion of the neither training, nor shall it be obligatory for the Apprentices to accept any employment, if offered by the Employer. The candidates are advised to get themselves familiarized with the rules and regulations under the Apprentices Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof and Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

13. MEDICAL FITNESS

A person shall be eligible for being trained under the Apprentices Act, 1961 and Apprenticeships Rules, 1992, as amended from time to time, if he or she satisfies the minimum standards of physical fitness as prescribed therein for imparting training in the relevant trades which will be certified by the Ordnance Factory hospital.

14. GENERAL INFORMATION TO CANDIDATES:

Candidates are advised to note the following instructions carefully:

I. Interested candidates may apply as per enclosed format giving complete bio-data with Xerox copies of all certificates including caste certificate & Date of Birth proof & mark sheets duly attested by Gazetted Officer or any other Competent Authority and send it to **"The Chief General Manager, Machine Tool Prototype Factory, A Unit of AVNL, Govt. of India Enterprise Ambarnath Dist – Thane, Maharashtra, Pin: 421 502"**, so as to reach this office within 21 days of publication of the advertisement in newspaper.

II. It is to be noted that mere submission of application does not guarantee induction as trade apprentice. The selection of candidates will be made based Merit List / Select List considering available vacancies category-wise. The candidature of all applicants shall be purely provisional at all stages of selection process. The candidature and selection of candidates shall also be subject to scrutiny of original copy of credentials/documents, clear police verification report, medical test and other eligibility criteria as mentioned in the advertisement and provisions of Act Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules, 1992 and all amendments thereof.

III. The candidates are required to carefully go through the advertisement in detail. The candidates are advised to carefully submit /enter the marks /percentage obtained in educational eligibility criteria.

IV. Candidates are required to give valid mobile number and e-mail id.

V. Canvassing of any kind will disqualify the candidate. Selection process is done strictly on merit.

VI. Candidates are advised not to fall prey to any unscrupulous elements.

VII. Any material suppression of facts or submitting forged certificates shall lead to rejection of his/her candidature at any stage of selection of this process.

VIII. Decision of MTPF/AVNL in all matters relating to the eligibility, acceptance/rejection of any application etc. shall be final and binding on the candidate and no query/correspondence shall be entertained in this regard.

IX. Any subsequent changes in the terms and conditions of the engagement of Trade Apprentices as per the extant rules will stand good. MTPF reserves the right to incorporate any subsequent changes/modifications / additions in the terms & conditions under this advertisement notice as necessitated and applicable.

X The Competent Authority reserves the right to accept any alternative lawful mode of selection in part or in whole in case of contingency.

XI No Transport allowance shall be admissible to any candidates called for Document Verification/Medical Examination.

XII All the provisions of Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules, 1992 and all the amendments thereof as on date are applicable.

04/06.

WORKS MANAGER/HR
CHIEF GENERAL MANAGER